

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश


पत्रांक:- 1/PMC/विविध/28/2017-92

पटना, दिनांक 09/02/2017

विभागीय नहर प्रणाली के सम्पोषण एवं रख-रखाव के संबंध में "नहर सम्पोषण नीति" तैयार किये जाने हेतु एक समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

- | | |
|---|---------|
| (i) अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना | अध्यक्ष |
| (ii) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग
अंचल-2, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| (iii) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग
अंचल-3, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| (iv) अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान | सदस्य |
| (v) अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल,
औरंगाबाद | सदस्य |

उपर्युक्त समिति पथ निर्माण विभाग के अनुरूप नहरों के सम्पोषण एवं रख-रखाव से संबंधित एक नहर सम्पोषण नीति बनाकर विभाग को समर्पित करेगी। उपर्युक्त समिति दो सप्ताह के अन्दर अपना कार्य पूरा करेगी।


09.02.17


(योगेश्वर धारी सिंह)

सयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक:- 1/PMC/विविध/28/2017-92

पटना, दिनांक 09/02/2017

प्रतिलिपि:-सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/सिंचाई अंचल/बाढ़ मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना/सारण नहर अंचल, सिवान/उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)

सयुक्त सचिव (अभियंत्रण)